


1 नं 2/26

अधिवक्ता उमथपक्ष उपा
आधिवक्ता

रेख्यो. नं 50 पत्र

पेश कर निवेदन किया कि पुर्व से संबंधित
मूल वाद का निस्तारित की जाकर फैसल
शुमार की जा चुकी है जिस कारण से उक्त
अपील का उभाव स्वतः ही निरस्त हो चुका
है न्यायाहित में उक्त अपील निरस्त किये
जाने का आदेश करके



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालौर

तारीख
हुक्म

राजस्व अपील संख्या 2025/45
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियटिव जज
चेनाराम १३ डेलारादेवी बगैरा

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

आधिकारिता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्र
पत्र व प्रावपत्र के साथ सलग्न आदेशिका
का अवलोकन किया। जिससे जाहिर है कि
पुकरण से संबंधित मूल वाद का निस्तारण
किया जा चुका है, जिससे उक्त अपील
व्याप्य व औचित्यहीन हो चुकी है उक्त
अपील खारिज की जाती है। पत्रावली
कैसल सुमार होकर अम्बर से मग ले।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाली केम्प-बालोर